

विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	शहरी विकास विभाग
प्रश्न संख्या तारांकित	:	4819
उत्तर की तिथि	:	05.03.2022
विषय	:	सुविधाएं
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री बिक्रम सिंह जरयाल(भटियात)
संबंधित मंत्री	:	शहरी विकास मंत्री।

प्रश्न	उत्तर
क्या शहरी विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि छावनी परिषद् बकलोह क्षेत्र में रह रही जनता को सरकार क्या पंचायत स्तर की सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो, कारण ?	जी नहीं । हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 3(1) के प्रावधान के अनुसार कोई छावनी परिषद् या छावनी परिषद् का भाग नगरपालिका के दायरे में नहीं आता है । अतः प्रदेश में कोई भी छावनी परिषद् या इसका भाग किसी भी शहरी स्थानीय निकाय का हिस्सा नहीं है ।